प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/163697/MRB/MORADABAD/2769/CFO

दिनांक: 30-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स DE PAUL SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 1248-1,RUSTHAM NAGAR,0,MORADABAD तहसील - BILARI जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
DE PAUL SCHOOL	3	0	10.35 mt.

तथा प्लाट एरिया 11210.00 sq.mt है। भवन का अधिभोग DE PAUL SCHOOL (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनाँक 07-07-2025 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SINO ANTONY depaulbilari@gmail.com 8439688149 के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 07-07-2025 से 06-07-2028 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयविध के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note: एफएसओ श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा द्वारा अपलोड मानचित्र/अभिलेखो का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो एफएसओ की संस्तुति आख्या के अनुसार भवन हेतु अग्निशमन विभाग से यूआईडी संख्याUPFS/2022/50199/MRB/MORADABAD/722/CFO दिनांक:10-05-2022 को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है भवन का विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें तथा फायर उपरकरणों का ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जाए। अपलोड अभिलेखो में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्गत।

<u>"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है | "</u>

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By (KRISHNA KANT OJHA)

[FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9]

07-07-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 07-07-2025

स्थान : MORADABAD